राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–361/2014/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, वृत्त पाली .....अपीलार्थी

बनाम्

मैसर्स प्रयाग पोलीमर्स प्रा0 लि0
ए–1129, फेज–तृतीय, भिवाड़ी मार्फत विरेन्द्र कारगो मूवर्स, जोधपुर,राशीद पुत्र सलीम,जोधपुर वाहन सं0 आरजे–19/जी–9655 .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम,सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा, ...अपीलार्थी की ओर से
उप राजकीय अभिभाषक
श्री विवेक सिंघल,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः–11.01.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 15/आरवेट/2013–14/उपा /अपील्स/अलवर में पारित आदेश दिनांक 30.12.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होनें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम प्रतिकरापवंचन, पाली (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.02.2013 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि जांच अधिकारी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, पाली द्वारा दिनांक 16.02.2013 को वाहन संख्या आरजे–19/जी–9655 को अहमदाबाद गुजरात से जोधपुर जाते समय जयपुर बाईपास, पाली पर रोक कर चैक किया गया। वाहन चालक द्वारा जांच अधिकारी को प्रस्तुत बिल्टी संख्या 81305 दिनांक 14.02.2013 में घोषित माल मशीनरी पार्टस नग–24 कीमतन रूपये 4,87,272/– मय भाड़ा के स्थान पर भौतिक सत्यापन पर सेनेटरी गुड्स लदा पाया गया जो कि अधिसूचित वस्तु होने के कारण इसका राज्य के बाहर से आयात किये जाने पर परिवहनित माल के दस्तावेजों के साथ घोषणा–पत्र वेट–47 संलग्न होना आवश्यक है। किन्तु वक्त जांच उक्त परिवहनित माल के दस्तावेजों के साथ घोषणा–पत्र वेट–47 संलग्न नही पाये जाने के कारण जांच अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन मानते हुए प्रकरण में अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत अभियोग बनाकर उपायुक्त(प्रशासन), पाली के आदेशानुसार अभियोग पत्रावली सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित की गई। सशक्त अधिकारी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन किये जाने के उपरान्त व्यवसायी को अधिनियम की धारा 76(6) के अर्न्तगत कारण बताओ नोटिस दिनांक 25.02.2013 के लिए जारी किया गया जिसकी पालना में व्यवसायी के प्रतिनिधि श्री ए0के0 मेहता ने दिनांक 18.02.2013 को उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया जिसे असन्तोषजनक मानते हुए सशक्त अधिकारी ने अस्वीकार कर दिया। व्यवसायी द्वारा बिना घोषणा–पत्र वेट–47 के राज्य के बाहर से अधिसूचित माल सेनेटरी गुड्स का आयात किये जाने को अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए परिवहनित माल सैनेटरी गुड्स कीमतन रूपये 4,87,272/– पर 30 प्रतिशत से शास्ति रूपये 1,46,181/– आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 30.12.2013 द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की

लगातार.....2

अपील स्वीकार करते हुए, आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त के विरूद्ध, अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को विधिविरूद्ध बताया तथा सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि परिवहनित माल के साथ संलग्न बिल, बिल्टी में 'Returned goods' अंकित है एवं दिनांक 18.02.2013 को प्रत्यर्थी व्यवहायी के प्रतिनिधि श्री मेहता द्वारा सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत पत्र से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा बिल, बिल्टी में 'Returned goods' का उल्लेख किया गया है। यह भी तर्क दिया कि मै0 राधास्वामी एण्टरप्राईजेज, गुजरात द्वारा जारी दस्तावेजों पर सबसे ऊपर 'Purchase Return' अंकित किया हुआ है एवं माल के साथ पाने वाली पार्टी मै0 प्रयाग पोलीमर्स प्रा0 लि0, भिवाड़ी का बिल नं0–219 दिनांक 07.12.2012 के बिलों की प्रतियां भी संलग्न की हुई थी जिससे स्पष्ट हो जाता है कि उक्त परिवहनित माल को पूर्व में प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा अपने बिल क्रमांक 219 दिनांक 07.12.2012 द्वारा मै0 राधास्वामी एण्टरप्राईजेज, गुजरात को भेजा गया था जिसे खराब होने के कारण उनके द्वारा उक्त दस्तावेजों से वापिस लौटाया जा रहा था। वेट नियम 53 के अवलोकन करने से स्पष्ट हो जाता है कि इस नियम के अनुसार 'Goods Returned' होने की दशा में परिवहनित माल के साथ घोषणा–पत्र वेट–47 संलग्न किया जाना आवश्यक नहीं है। चूंकि उक्त संव्यवहार अन्तर्राज्यीय खरीद न होकर विक्रय वापसी का संव्यवहार था जिसके लिए घोषणा पत्र वेट–47 आवश्यक नहीं है। सशक्त अधिकारी द्वारा विवादित आदेश में कहीं पर भी यह अंकित नहीं किया गया कि उक्त संव्यवहार विक्रय वापसी से संबंधित था। सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त संव्यवहार को अन्तर्राज्यीय खरीद मानकर अनुचित रूप से शास्ति आरोपित की गयी है जो पूर्णतः अविधिक है। अपीलीय अधिकारी ने समस्त तथ्यों पर विचार करने के उपरान्त ही आदेश पारित किया है। उनका निवेदन था कि विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जावे।

5. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का परिशीलन किया गया रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स राधास्वामी एण्टरप्राईजेज, अहमदाबाद को जरिये वैट इन्वॉयस क्रमांक 219 दिनांक 07.12.2012 कीमतन रूपये 5,36,713/– का किचन वेयर एवं सैनेटरी गुड्स (कुल पीस 1352) बेचा गया था जिसमें से क्रेता व्यवसायी द्वारा 1232 पीस विक्रय वापसी के रूप में प्रत्यर्थी व्यवसायी के नाम दस्तावेज बनाकर दिनांक 14.02.2013 को वापिस लौटाया गया एवं परिवहनित माल के साथ उक्त दस्तावेज क्रमांक 02 दिनांक 14.02.2013 प्रस्तुत किया गया था जिसके सबसे ऊपर 'Purchase Return' अंकित किया हुआ है। उक्त परिवहनित माल से संबंधित बिल्टी क्रमांक 81305 दिनांक 14.02.2013 में भी स्पष्ट रूप से '(24) Twenty four B/d. M/C Parts Return goods Note for sale' अंकित किया हुआ था। मूल अभियोग पत्रावली पर उपलब्ध इन तीनों दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि क्रेता फर्म द्वारा उक्त माल विक्रय वापसी के रूप में प्रत्यर्थी व्यवसायी को भिजवाया जा रहा था एवं विक्रय वापसी की दशा में घोषणा–पत्र वेट–47 प्रस्तुत करना वेट नियम–53 के अन्तर्गत बाध्यकारी नहीं है। अतः अभियोग पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा अधिनियम की धारा 76(2)(बी) की पूर्णतः पालना किया जाना स्पष्ट होता है। जांच अधिकारी द्वारा केवल बिल्टी में सैनेटरी गुड्स के स्थान पर मशीनरी पार्ट्स अंकित होने का तो उल्लेख किया है किन्तु उक्त बिल्टी में आगे स्पष्ट रूप से अंकित 'Return goods Note for sale' का उल्लेख किया हुआ है। सशक्त अधिकारी ने भी इस पर ध्यान नहीं देकर शास्ति आरोपित कर दी गयी जो अनुचित है। अपीलीय अधिकारी ने समस्त तथ्यों पर विचार कर शास्ति को अपास्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है एवं विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार होने योग्य है।

लगातार.....3

6. फलतः अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य